—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 108/2019

उनवान

रामधन पुत्र हजारी जाति भांबी निवासी ग्राम बैवंजा, नसीराबाद
——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. रामपाल मुतबन्ना जेठू
2. तोफी पत्नी छोटू समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम बैवंजा, नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :— 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री गोवर्धन गुर्जर,
3 जरियें राज. पैरोकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 12.5.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बैवंजा के खाता संख्या 298/278 किता 9 रकबा 2.55 व 106/91 किता 5 रकबा 0.66 की आराजी वादी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 24.12.05 को जेठू के गोद चला गया है। इसके उपरान्त भी खाता संख्या 298/278 किता 9 रकबा 2.55 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी है। हाल जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खाता संख्या 298/278 किता 9 रकबा 2.55 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है। उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.05.1977 को क्रय की गयी है। खाता संख्या 106/91 किता 5 रकबा 0.66 की आराजी प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी की है अतः वादी का वाद सव्यय खारिज किया जावे। राज. पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:12:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण की जरिये विक्रय पत्र खरीद शुदा खातेदारी भूमि होने
एवं वादी के पूर्वजों को कभी भी आवंटन नही होने के कारण वाद खारिज योग्य है ?
—— प्रतिवादी

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व गोदनामा पेश किया। तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बैवंजा के खाता संख्या 298/278 किता 9 रकबा 2.55 व 106/91 किता 5 रकबा 0.66 की आराजी वादी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 24.12.05 को जेठू के गोद चला गया है। इसके उपरान्त भी खाता संख्या 298/278 किता 9 रकबा 2.55 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी है। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में ग्राम बैवंजा के खाता संख्या 298/278 किता 9 रकबा 2.55 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व खाता संख्या 106/91 किता 5 रकबा 0.66 की आराजी प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का साबिक राजस्व अभिलेख वादी द्वारा पेश नही किया गया है जिसे आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता हो। आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में किस के नाम दर्ज थी यह वादी द्वारा स्पष्ट नही किया है, ना ही वादी द्वारा वाद के कथनों की ताईद में साक्ष्य पेश की है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख अनुसार ग्राम बैवंजा के खाता संख्या 298/278 किता 9 रकबा 2.55 की आराजी उसके द्वारा क्रय की गयी है, जो नामान्तकरण से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की गयी है। अतः आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही होने से वादी खातेदारी प्राप्ति व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तनकी संख्या 1 व 2 विरूद्व वादी सिद्व होती है।

तनकी संख्या 3 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। खाता संख्या 298/278 किता 9 रकबा 2.55 की आराजी पूर्व राजस्व अभिलेख में जेठू पुत्र छोगा के नाम थी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय करने के कारण नामान्तकरण संख्या 53 दिनांक 5.5.89 से उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की गयी तथा हाल राजस्व अभिलेख में भी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। खाता संख्या 106/91 किता 5 रकबा 0.66 की आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी में है। उक्त आराजी का साबिक राजस्व अभिलेख पेश नही करने के कारण भूमि का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम बैवंजा के खाता संख्या 298/278 किता 9 रकबा 2.55 व 106/91 किता 5 रकबा 0.66 की आराजी पर वादी का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की आज्ञप्ति जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:12:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामधन बनाम रामपाल

राजस्व मुकदमा नम्बर –108/2019
पेश करने की दिनांक –12.09.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई गोवर्धन गुर्जर राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बैवंजा के खाता संख्या 298/278 किता 9 रकबा 2.55 व 106/91 किता 5 रकबा 0.66 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 5 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुदई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:12:55 IST
Reason: SelfAttested